



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 74 राँची, शनिवार 3 फाल्गुन 1935 (श०)
22 फरवरी, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

8 जनवरी, 2014

संख्या-2ए/आरोप-1-215/2012 का०- 194-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अजय कुमार तिर्की, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-740/03, गृह जिला-राँची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पतरातू, रामगढ़, के पद पर कार्यावधि में पतरातू प्रखण्ड अन्तर्गत मनरेगा कार्यक्रम के तहत 48 कूप एवं 11 मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना का कार्यान्वयन बिना प्रशासनिक स्वीकृति के किया गया, जिसमें कुल रू० 34,31,311/- व्यय किया गया, जैसा कि आरोप प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री तिर्की के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री तिर्की को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष

उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री तिर्की द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त, भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री तिर्की के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री दिगेश्वर तिवारी, अपर समाहर्ता, रामगढ़ को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री अजय कुमार तिर्की, झा0प्र0से0 एवं श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

यतीन्द्र प्रसाद ,

सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 74—50 ।